रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 488] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 5, 1975/अग्रहायण 14, 1897

No. 488] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 5, 1975/AGRAHAYANA 14, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 5th December 1975

S.O. 697(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely:—

(1) This order may be called the Exports (Control) thirty first Amendment Order, 1975.

(2) In the Exports (Control) Odrer. 1968, in O.G.I.. 3, item No. 28 shall be deleted.

[No. E(C)O, 1968/AM(176)]

MISS ROMA MAZUMDAR,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1975

का० आ० 697(अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) इक्तीसवां संशोधन आदेश, 1955 की संज्ञा दी जाए।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में, खुले सामान्य लाइसेंस 3 में मद संख्या 28 को हटाया जाएगा।

[सं० ई(सी) ओ, 1968/एएम (176)]

कुमारी रोमा मजुमदार,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975